1

पत्रांक-भवन-03/स्था0-विविध-01/2018..........977 (भ)......../

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

E-mail/FAX

प्रेषक,

दीपक कुमार साहु,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, भागलपुर/किशनगंज/अररिया/छपरा/गया/दरभंगा/सहरसा/
सासाराम/हाजीपुर/कटिहार, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः- 31/1/2020

विषयः- संविदा पर पुनर्नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विरमित करने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-429-सह-पठित ज्ञापांक-11053(भ) दिनांक-19.12.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 11(ग्यारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का संविदा अवधि विस्तार/पुनर्नियोजन करते हुये अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया गया था, परन्तु कतिपय प्रमंडलों को छोड़कर शेष प्रमंडलों से विरमित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी कार्यपालक अभियंता के द्वारा स्थानांतरित कनीय अभियंता(संविदा) को अदिनांक विरमित नहीं किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि जिन कार्यपालक अभियंता के द्वारा उक्त स्थानांतरित कनीय अभियंता(संविदा) को अदिनांक विरमित नहीं किया गया है, उन्हें दिनांक 01.02.2020 तक विरमित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा दिनांक 01.02.2020 के अपराह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। साथ ही उनका अगले माह का वेतन का भुगतान नवपदस्थापन कार्यालय से किया जायेगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सभी पुनर्नियोजित एवं स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं (संविदा) के विरमित करने संबंधित प्रतिवेदन (विरमित करने संबंधी पत्र की छायाप्रति सहित) तीन (03) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार साहु)
सरकार के उप सचिव।
31/1/2020

ज्ञापांकः- 977 (भ) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।
31/1/2020

ज्ञापांकः- 977 (भ) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, औरंगाबार/छपरा/कटिहार/भागलपुर/दरभंगा/गोपालगंज/गया/हाजीपुर/किशनगंज/समस्तीपुर/सहरसा/सभी संबंधित कनीय अभियंता (संविदा) एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-03/स्था0-विविध-25/2019.......429......./पटना, दिनांक.......19.12.19.......

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007, संकल्प ज्ञापांक-1718 दिनांक 06.05.2010, संकल्प ज्ञापांक-8025 दिनांक 21.05.2013 में निहित प्रावधान एवं संकल्प संख्या-12534 दिनांक 17.09.2018 की कंडिका-4(i) में वर्णित परिशिष्ट 'क' का कंडिका-1(क) एवं कंडिका-24(i) एवं 34 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-39-सह-पठित ज्ञापांक-858(भ) दिनांक 24.01.2019 द्वारा संविदा पर पुनर्नियोजित एवं कार्यरत निम्नलिखित 11 (ग्यारह) कनीय अभियंता (असैनिक), जिनकी संविदा नियोजन अवधि दिनांक 04.09.2019 को समाप्त हो चुकी है, को सरकार द्वारा निरूपित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन अगले एक वर्ष अर्थात दिनांक 05.09.2019 से 04.09.2020 तक के लिए पुनर्नियोजन (संविदा अवधि का विस्तार) करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं0	कनीय अभियंता का नाम/पूर्व पदस्थापन स्थान	गृह जिला	नव पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री गोविन्द कुमार शर्मा भवन प्रमण्डल, भागलपुर	बक्सर	भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद
2	श्री आनंद कुमार भवन प्रमण्डल, किशनगंज	समस्तीपुर	भवन प्रमण्डल, छपरा
3	श्री अभिनाश कुमार सिंह भवन प्रमण्डल, अररिया	किशनगंज	भवन प्रमण्डल, कटिहार
4	श्री उत्तम कुमार भवन प्रमण्डल, छपरा	शेखपुरा	भवन प्रमण्डल, भागलपुर
5	श्री सीताराम प्रसाद भवन प्रमण्डल, गया	नालंदा	भवन प्रमण्डल, दरभंगा
6	श्री विपिन कुमार भवन प्रमण्डल, दरभंगा	बक्सर	भवन प्रमण्डल, गोपालगंज
7	श्री मृत्युंजय भवन प्रमण्डल, भागलपुर	जमुई	भवन प्रमण्डल, गया
8	श्री राहुल कुमार भवन प्रमण्डल, सहरसा	मधेपुरा	भवन प्रमण्डल, हाजीपुर
9	श्री ओम प्रकाश राम भवन प्रमण्डल, सासाराम	गढ़वा	भवन प्रमण्डल, किशनगंज
10	मो0 जावेद अख्तर भवन प्रमण्डल, हाजीपुर	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमण्डल, समस्तीपुर
11	मो0 बजैर आलम भवन प्रमण्डल, कटिहार	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमण्डल, सहरसा

1. यह पुनर्नियोजन पूरी तरह से अस्थायी है एवं इस शर्त्त के साथ है कि भविष्य में इनका कार्यकलाप अच्छा हो एवं उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं है।
2. यह पुनर्नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध है एवं अधिकतम एक वर्षों के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए (जो भी पहले हो) है।
3. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
5. अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण यह सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पुरी होने पर संविदा अवधि के पूर्व अथवा नियमित नियुक्ति होने के पूर्व भी संविदा नियोजन समाप्त की जा सकती है।

E:/Sumit /Old and New Work Folder/Non-Gaztt-4 DRAFT-2018/Non-GAZ27.FST.doc

6. संविदा पुनर्नियोजन की अन्य शर्तें नियोजन के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत् रहेगी।
7. सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007 में संशोधन के उपरान्त प्रतिपादित सभी शर्त्त/नियम इस आदेश में प्रभावी माने जाएंगे।
8. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से उपर्युक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) से एकरारनामा सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा सम्पादित कर विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
9. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान पूर्व निर्धारित दर से उनके पदस्थापित कार्यालय द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक 05.09.2019 से नियमानुसार देय होगी।
10. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंतओं से एकरारनामा कराने के पश्चात् ही उनका मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 11053 (अ) पटना, दिनांक- 19.12.19

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता (संविदा)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/19
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव।